अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

23/225 रिव्यू श्रीमती कमला वनाम भागू व अन्य

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

2023/308

श्री अपीलांट श्री

तारीख हुक्म या पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
15/10/24	श्रीमती कमला बनाम भांगू वगैरह (2022/308) पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट सख्या 03 उपस्थित अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना–पत्र वास्ते सारहीन होने से विड्रो फरमाने अपील पेश किया, जो शामिल पत्रावली हो। अभिभाषक अपीलांट ने मौखिक बताया कि माननीय राजस्व मण्डल राज.,अजमेर के समक्ष न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 26.10.2023 के विरूद्ध निगरानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत की। माननीय मण्डल ने उक्त निगरानी में दिनांक 22.12.2023 को निर्णय पारित करते हुए न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 26.10.2023 को निरस्त कर, विचारण न्यायालय को निर्देशित किया कि प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का एक माह में करने के आदेश दिये है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय),अजमेर के समक्ष विचाराधीन वाद–पत्र का निस्तारणं कर दिया है तथा उक्त वाद–पत्र के आदेश विरूद्ध अपील भी न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दी गयी है जिसमें आगामी पेशी दिनांक 22.10.2024 नियत है, इसलिए अपील को सारहीन होने से खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावें। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय),अजमेर के समक्ष विचाराधीन वाद–पत्र का निस्तारण कर दिया है तथा उक्त वाद–पत्र के आदेश विरूद्ध अपील भी न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दी गयी है। चुँकि प्रस्तुत अपील 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई है जो सारहीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलांटस सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner